

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.-02/2021 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन सहायक निदेशक-सह-जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी के रिक्त 31 (एकतीस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है, इन रिक्त पदों की पदवार कोटिवार विवरणी निम्नवत है :-

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	10	04
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	01
3.	अनुसूचित जाति	06	02
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07	01
6.	पिछड़ा वर्ग	03	01
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	01	00
कुल		31	09

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या		00

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
3.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में निशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)		01
(ii)	मूक बधिर (DD)		01
(iii)	अस्थि विकलांग (OH)		00
(iv)	मनोविकार/बहुदिव्यांग		00

2. वेतनमान:- लेवल-9

3. शैक्षणिक योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध संस्था से स्नातक अथवा इसके समकक्ष डिग्रीधारी तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्था से पत्रकारिता/मास कम्युनिकेशन में डिग्री होना अनिवार्य है।

नोट:- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-12.03.2021 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

4. उम्र सीमा - दिनांक- 01.08.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 212, दिनांक- 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे, जो दिनांक-01.08.2007 से 01.08.2017 तक की अवधि में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र के हो गये हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 2374, दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 13062, दिनांक- 12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. चयन प्रक्रिया:-

(क) विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-15838, दिनांक-22.12.1990 एवं पत्रांक-6706, दिनांक-01.10.2008 द्वारा निर्धारित सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौत्तीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में पाँच पत्र 800 (आठ सौ) अंकों के विषयनिष्ठ प्रकृति के होंगे। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय/पाठ्यक्रम/पूर्णांक/अवधि निम्नांकित होंगे:-

(क) अनिवार्य पत्र

पत्र सं०	पत्र	पाठ्यक्रम	पूर्णांक	अवधि
1.	हिन्दी संक्षेपण, हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद	1. लेख-25 अंक 2. संक्षेपण-25 अंक 3. वाक्य सुधार/ विन्यास-25 अंक 4. अनुवाद-25 अंक	100	3 घंटा
2.	अंग्रेजी लेख एवं संक्षेपण	1. Essay- 25 Marks 2. Comprehension- 15 Mark 3. Precise writing- 10 Mark 4. Sentence Error- 25 Marks 5. Translation-25 Mark	100	3 घंटा
3.	समसामयिक घटनाओं का सामान्य ज्ञान	राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र	200	3 घंटा
4.	पत्रकारिता का सिद्धान्त, संवाद प्रेषण एवं सम्पादन (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	बिहार सूचना नियमावली, 2012 के अनुसूची-IV के खण्ड-C में उल्लेखित पत्रकारिता सिद्धान्त, संवाद प्रेषण एवं सम्पादन हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम	200	3 घंटा
5.	जन-सम्पर्क का महत्व एवं आधुनिक प्रचार माध्यम	पटना विश्वविद्यालय, पटना का Bachelor of mass communication (B.M.C.) Honours course का सिलेबस	200	3 घंटा

➤ मौखिक जाँच-लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मौखिक जाँच के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे।

6. मेधा सूची-लिखित तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

7. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को कडिका-1(ग) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 04 प्रतिशत शैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को कडिका-1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 35 प्रतिशत शैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कडिका-1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 10 प्रतिशत शैतिज आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

नोट:- (1) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में

अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:- (2) अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
2. स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
3. स्नातक अंक पत्र (विज्ञापन की कडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
4. पत्रकारिता/मास कम्प्यूटेशन से संबंधित प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
5. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
6. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
10. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
11. बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।
12. मृतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
13. केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
14. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
15. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।
16. लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

8. शुल्क :-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए— 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक-16.02.2021
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक-12.03.2021

नोट:- आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। अपितु अभ्यर्थियों को अनुलग्नक के कॉलम में स्कैन किये गये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों/अंक-पत्रों, आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्रों आदि को अपलोड करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।

(B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक-19.03.2021 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे:-

(i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता है:-

(क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर-रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर-रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे नये Mobile No. एवं Email ID के माध्यम से नये सिरे से रजिस्ट्रेशन तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। पूर्व में उनके द्वारा भुगतान की गयी रियायती परीक्षा शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क का विवरण इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(x) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(xi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से

डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

- (xii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

10. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा, जो निम्न प्रकार है:-
- (a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के लिए);
 - (b) स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - (c) स्नातक अंक पत्र (विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - (d) पत्रकारिता/मास कम्प्यूनिकेशन से संबंधित प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - (e) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
 - (f) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
 - (g) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रेमाणित प्रति।
- आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
- (h) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रेमाणित प्रति;
 - (i) आयु में छुट का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी तत्संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।
 - (j) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- (ii) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अनुलग्नक के कॉलम में स्कैन किये गये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों/अंक-पत्रों, आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्रों आदि को अपलोड करना होगा।
11. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।